सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 25, मंगलवार, *शाके* 1947- सितम्बर 16, 2025
Bhadra 25, Tuesday, Saka 1947- September 16, 2025

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2025

संख्या प.2(25)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 13)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 26 जुलाई, 2025 को और से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 1) की धारा 6 में,-

(i) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "स्वायत्त होना" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या राज्य सरकार द्वारा शासित होना" अंत:स्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के घटक या उसके द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय होना घोषित कर सकेगी। ऐसी घोषणा होने पर ऐसे महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण और समस्त भूमि, भवनों, प्रयोगशालाओं, उपस्कर, पुस्तकों सहित समस्त आस्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय(यों) के अधिकारी, अध्यापक

और कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर, और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर, राज्य सरकार के अधिकारी, अध्यापक, या यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 16, 2025

No. F. 2(25)Vidhi/2/2025.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Swasthya Vigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2025

(Act No. 13 of 2025)

(Received the assent of the Governor on the 15th day of September, 2025)

An
Act

further to amend the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 26thJuly, 2025.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 1 of 2005.- In section 6 of the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No. 1 of 2005),-

(i) in the clause (b) of sub-section (2), after the existing expression "is required to be self-governing" and before the existing expression "or to be associated with", the expression "or to be governed by the State Government" shall be inserted; and

(ii) after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, declare any college, constituent to or established by the University, to be a government college. Upon such declaration, the administrative control of such college and all assets including all land, buildings, laboratories, equipment, books shall vest in the State Government and the officers, teachers and employees of such college(s) after being found suitable through screening by a screening committee constituted by the State Government and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers, or, as the case may be, employees of the State Government.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 1 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

ब्रजेन्द्र जैन,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।